

**मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कांगड़ा स्थित पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के
लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अंकेक्षण अवधि 1.4.12 से 31.3.14**

भाग—एक

1 प्रारम्भिक:—

(क) वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, पालमपुर में कार्यरत रहे:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री हमीरचन्द	01.04.12 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:—

क्र०सं०	पैरा सं०	विवरण	राशि
1	6 (क)	निर्धारित लक्ष्यों पर व्यय न करने के कारण वर्ष 2012—13 के अन्त में अनुदान की राशि का शेष पाया जाना	28.23
2	6 (ख)	निर्धारित लक्ष्यों पर व्यय न करने के कारण वर्ष 2013—14 के अन्त में अनुदान की राशि का शेष पाया जाना	36.20
3	8	लाभार्थियों को अनुदान के रूप में दी गई राशि के एवज में रसीद प्राप्त न करना	0.17

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई।

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/06 से 3/07

1	पैरा—6	अनिर्णीत
2	पैरा—7(3)	अनिर्णीत

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/12

1	पैरा—4	अनिर्णीत
2	पैरा—5	निर्णीत (कार्रवाई देख ली गई)

3	पैरा-6	निर्णीत	(पैरा अपडेटिड)
4	पैरा-7	निर्णीत	(पैरा अपडेटिड)
5	पैरा-8	अनिर्णीत	
6	पैरा-9	निर्णीत	
7	पैरा-10	निर्णीत	
8	पैरा-11	निर्णीत	(रसीदें देख ली हैं)
9	पैरा-12	अनिर्णीत	
10	पैरा-13	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई)
11	पैरा-14	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई)

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण, पालमपुर के अवधि 4/12 से 3/14 के निधि लेखों का वर्तमान लेखाओं का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) व श्री भवनीश कुमार (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 19.7.14 से 04.08.14 के दौरान अभिकरण के कार्यालय में सम्पन्न किया गया। संस्था की आय तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 3/13 व 3/14 का चयन किया गया।

यहां यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण अभिकरण के कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये अभिलेख के आधार पर किया गया है। कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना प्रदान न करने के लिये स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के अवधि 4/12 से 3/14 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹14300/- आँका गया, जिसे निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 213 दिनांक 04.08.14 द्वारा अनुरोध किया गया। संस्था द्वारा अंकेक्षण की इस राशि को बैंक ड्राफ्ट संख्या 552795 दिनांक 16.8.14 के द्वारा प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति:—

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण पालमपुर के वर्ष 2012—13 व 2013—14 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति/आय—व्यय विवरण/तुलन पत्र का पूर्ण ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "A" व परिशिष्ट "C" पर दिया गया है।

5 अनुदान:—

अभिकरण को वर्ष 2012—13 के दौरान ₹21.25 लाख व वर्ष 2013—14 के दौरान ₹14.99 लाख अनुदान की राशियाँ प्राप्त हुई जिसका विस्तृत ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "B" व परिशिष्ट "D" पर दिया गया है।

6 निर्धारित लक्ष्यों पर व्यय न करने के कारण वर्ष 2012—13 के अन्त में अनुदान की ₹28.23 लाख तथा वर्ष 2013—14 के अन्त में अनुदान की ₹36.20 का शेष पाया जाना:—

(क) परिशिष्ट "B" के अनुसार अभिकरण के पास वर्ष 2012—13 में निर्धारित लक्ष्यों पर व्यय करने हेतु कुल ₹35.80/— लाख उपलब्ध थी। इस राशि में से वर्ष 2012—13 के दौरान संस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु केवल ₹7.25 लाख ही व्यय की गई तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में दिनांक 31.3.13 को ₹28.23 लाख शेष थी। अतः वित्तीय वर्ष के अन्त में कुल राशि का 78.85% शेष रहने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके शेष राशि को स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) इसी प्रकार परिशिष्ट "D" के अनुसार अभिकरण के पास वर्ष 2013—14 में निर्धारित लक्ष्यों पर व्यय करने हेतु कुल ₹43.22 लाख उपलब्ध थी। इस राशि में से वर्ष 2013—14 के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु केवल ₹7.019 लाख ही व्यय की गई तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में दिनांक 31.3.14 को ₹36.20 लाख शेष थी। वित्तीय वर्ष के अन्त में कुल राशि का 83.75% शेष रहने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके शेष राशि को स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7 वित्तीय वर्ष 2012-13 व 2013-14 में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति न होना:-

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण पालमपुर के लिये वित्तीय वर्ष 2012-13 व 2013-14 के भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण अभिकरण की शासी निकाय की 21वीं तथा 22वीं बैठक की मद सं० 5 के अन्तर्गत किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

कुल प्रगति का विवरण					
		वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14	
क्र० सं०	मद का नाम	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
1	तालाब सुधार	6 है०	8.0653 है०	6 है०	3.8444 है०
2	तालाब निर्माण	10 है०	2.1281 है०	10 है०	15.0602 है०
3	हैचरी की स्थापना	1 न०	शून्य	शून्य	शून्य
4	एकीकृत मत्स्य पालन	1 न०	शून्य	शून्य	शून्य
5	फीडमिल की स्थापना	1 न०	शून्य	शून्य	शून्य
6	मत्स्य उत्पादन	460 M.T.	483.75 M.T.	शून्य	शून्य

जिलावार प्रगति का विवरण

		तालाब सुधार				तालाब का निर्माण			
		वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14		वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14	
क्र० सं०	जिला / मद	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	चम्बा	0.10	शून्य	0.10	शून्य	0.70	शून्य	0.70	0.3192
2	काँगड़ा	3.40	4.3673	3.50	2.2868	6.00	1.5716	6.00	14.7155
3	हमीरपुर	1.50	3.698	1.60	1.5576	1.50	शून्य	1.50	शून्य
4	मण्डी	1.00	शून्य	0.80	शून्य	1.80	0.5565	1.80	0.0255
5	कुल्लू	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		6.00 है०	8.0653 है०	6.00 है०	3.844 है०	10.00 है०	2.1281 है०	10.00 है०	15.0602 है०

उपरोक्त विवरणों से स्वतः ही स्पष्ट है कि अभिकरण द्वारा जिलावार एवं कुल प्रगति के अनुसार निर्धारित भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं अनुपालना से अंकक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 लाभार्थियों को अनुदान के रूप में दी गई ₹17341/- के एवज में रसीदे प्राप्त न करना:—

अभिकरण द्वारा निम्न प्रकरणों में लाभार्थियों को तालाब सुधार के लिये अनुदान की राशि प्रदान की गई परन्तु लाभार्थियों से अनुदान की प्राप्ति की वास्तविक रसीदे प्राप्त करके अंकक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई।

क्र०सं०	दिनांक	लाभार्थी का नाम	राशि
1	25.3.14	श्री बलवन्त सिंह स्‍पु० श्री जौण्डा राम	5976
2	25.3.14	श्रीमती शिल्पा वालिया सुपु० श्री राजिन्द्र कुमार	1163
3	25.3.14	श्री राम नाथ स्‍पु० श्री शंकर	1538
4	25.3.14	श्री मंगल सिंह स्‍पु० श्री कांशी राम	1463
5	25.3.14	श्री लेख राज स्‍पु० श्री पुरखा राम	3825
6	25.3.14	श्री दुनी चन्द स्‍पु० श्री रामजी दास	1162
7	25.3.14	श्री काशी राम स्‍पु० श्री कृपा राम	1013
8	25.3.14	श्री प्यारे लाल स्‍पु० श्री तुलसी राम	1201
योग			₹17341

अतः अपेक्षित रसीदें आगामी अंकक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाये।

9 रोकड़ बही में फल्यूड का प्रयोग करने बारे:—

रोकड़ बही की जाँच पर पाया गया कि रोकड़ बही में जगह-जगह कटिंग करके फल्यूड का प्रयोग किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा भी इस कटिंग को सत्यापित नहीं किया गया जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व भविष्य में रोकड़ बही में फल्यूड का प्रयोग न किया जाए तथा यदि रोकड़ बही राशि गलत भी अंकित की गई हो तो उसको काटकर तथा सही राशि अंकित करके इसे सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाए।

10 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अभिकरण द्वारा अंकक्षणाधीन अवधि के दौरान भण्डार की वस्तुओं की प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया प्रतीत होता है क्योंकि इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः भण्डार में पड़ी वस्तुओं की प्रत्यक्ष सत्यापना करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 लघु आपत्ति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

12 निष्कर्ष:- लेखाओं के रख-रखाव में और सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / -

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

पृष्ठांकन संख्या: वित्त (ले0प0)मु0(सी)15(14) 181/95 खण्ड-7-7785-88, दिनांक, 27.12.14

शिमला-171009

पंजीकृत प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य कृषक अभिकरण कांगड़ा स्थित पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।
2. मुख्य मत्स्य प्रारक्षी, मत्स्य पालन निदेशालय, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0
3. उप सचिव (मत्स्य) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2
4. श्री मुकेश कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

हस्ता / -

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

